प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.12.2024

थाना मसूरी पुलिस द्वारा मादक पदार्थ 01 किलो 544 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.11.2024 को थाना मसूरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अब्दुल पुत्र महबूब निवासी अनूपपुर डिबाई थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ हाल निवासी झुग्गी-झोंपडी डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष को ग्राम कल्लूगढी फाटक से नाहल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते के पास से चौकी क्षेत्र जेल से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से मादक पदार्थ 01 किलो 544 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं गांजा की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर आसपास के क्षेत्रों में चोरी छिपे घूम फिरकर राह चलते लोगों को बेच देता हूँ और पैसे कमाकर अपने शौक पूरे करता हूँ। मैं यह गांजा बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अब्दुल पुत्र महबूब निवासी अनूपपुर डिबाई थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ हाल निवासी झुग्गी-झोंपडी डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

मादक पदार्थ 01 किलो 544 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मसूरी पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा छिनैती व चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छिनैती व चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 23.12.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि नोएडा से अपने घर आते समय ताज हाई-वे सर्विस रोड थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसका मोबाइल फोन छीन लेना। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 304(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 26.12.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले अभियुक्त आदित्य उर्फ आदी पुत्र अजय डामिनिक निवासी पंचायत घर के पास क्रिश्चियन नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को जल प्लांट रोड रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से छिनैती के 02 मोबाइल फोन व चोरी का 01 मोबाइल फोन बरामद हुये। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने दिनांक 23.12.2024 को एक व्यक्ति से ताज हाईवे सर्विस रोड से 01 मोबाइल फोन छीना था तथा मुझसे 02 अन्य मोबाइल फोन बरामद हुये हैं इनमें से 01 मोबाइल फोन मैंने अपने साथी अजय उर्फ बंदर के साथ मिलकर करीब 02 महीने पहले क्रिश्चियन नगर बागू से एक घर से चोरी किया था तथा तीसरा मोबाइल फोन भी मैंने अपने साथी अजय उर्फ बंदर के साथ मिलकर तिगरी गोल चक्कर के पास से जुलाई के महीने में एक व्यक्ति से छीना था। मैं और मेरा साथी अजय उर्फ बंदर मिलकर गाजियाबाद व आस पास के क्षेत्रो से मोबाइल फोन की छिनैती व चोरी करते हैं। जिन्हें हम किसी चलते फिरते व्यक्ति को अपनी मजबूरी बताकर बेच देते हैं और हमें जो रुपये मिलते हैं उन्हें अपनी मौज मस्ती में खर्च करते देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

आदित्य उर्फ आदी पुत्र अजय डामिनिक निवासी पंचायत घर के पास क्रिश्चियन नगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से छिनैती व चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर मोबाइल छिनैती व मोबाइल चोरी के संबंध में कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 पेटी अवैध शराब व शराब, तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी बरामद।

दिनांक 26.12.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त आशू पुत्र देशपाल निवासी ग्राम बखरवा थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष को राजचोपला मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 02 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्का व शराब तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा से चोरी छिपे अवैध शराब कम दामों पर खरीदकर लाता हूँ तथा मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देता हूँ तथा इससे जो रूपये मिलते हैं उन्हें अपने शौक-मौज में खर्च कर देता हूँ। मैं ये अवैध शराब गाड़ी द्वारा बेचने के लिए ले जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

आशू पुत्र देशपाल निवासी ग्राम बखरवा थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अवैध शराब बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

02 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्का व शराब तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की धमकी देने व जाति सूचक शब्द बोलने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 26.12.2024 को वादी रोहित कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी अशोक नगर थाना सिहानी गेट गाज़ियाबाद ने अभि0 रोहित चौधरी व नीरज के द्वारा वादी को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देना व जाति सूचक शब्द बोलने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर अन्तर्गत धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(2) बी0एन0एस0 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही का विवरण:- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 26.12.2024 को 1.नीरज चौधरी पुत्र सुरेन्द्र पाल सिंह निवासी दुर्गा वाटिका तुलसी विहार कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर 2.रोहित पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी म0न0 सी 3 श्री अपार्टमेन्ट सै0 2 राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाज़ियाबाद उम्र 34 वर्ष को थाना कविनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त नीरज चौधरी व रोहित ने पूछने पर बताया कि दिनांक 26/12/2024 को होटल पर हम दोनो व विपक्षीगण आयें थे होटल के सामान को लेकर हमारी व विपक्षीगण के मध्य कहा सुनी हो गयी थी।

अभियुक्त का नाम पता-

1.नीरज चौधरी पुत्र सुरेन्द्र पाल सिंह निवासी दुर्गा वाटिका तुलसी विहार कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र 44 वर्ष

2.रोहित पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी म0न0 सी 3 श्री अपार्टमेन्ट सै0 2 राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद गाज़ियाबाद उम्र 34 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हाथ के 04 कड़े, 03 अंगूठी, 04 जोड़ी कानों के कुण्ड़ल, 01 जोड़ी कान की कनौती, 02 गले की चैन (सभी आभूषण पीली धातु) बरामद (कीमत लगभग 7,50,000 रुपये) ।

दिनांक 26.12.2024 को थाना टीलामोड़ पर वादी डा0 विवेक भारती निवासी बी 401 ओक्सी रिच अपार्टमेन्ट, कोयल एनक्लेव थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त देवेन्द्र शर्मा ब्रोकर द्वारा दिनांक 21/22.12.2024 की रात्रि में घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे आभूषण चोरी हो जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया। तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा टीमे गठित कर मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 26.12.2024 को ही अभियुक्त देवेन्द्र शर्मा उर्फ जोनी पुत्र स्व0 राजेन्द्र शर्मा निवासी ए-705, 7th फ्लोर ओक्सी रिच अपार्टमेन्ट, कोयल एनक्लेव थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम खेड़ी भनौता थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 51 वर्ष को तुलसी निकेतन छात्रावास के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी किए गए हाथ के 04 कड़े, 03 अंगूठी, 04 जोड़ी कानों के कुण्ड़ल, 01 जोड़ी कान की कनौती, 02 गले की चैन (सभी आभूषण पीली धातु) बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त देवेन्द्र शर्मा उर्फ जोनी पुत्र स्व0 राजेन्द्र शर्मा नि0 उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 305,317(2),331(4) बीएनएस में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त देवेन्द्र शर्मा उर्फ जोनी पुत्र स्व0 राजेन्द्र शर्मा नि0 उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त ने ही वादी को बी 401 ओक्सीरिच अपार्टमेन्ट किराये पर दिलाया था। अभियुक्त ने वादी के घर में ताला लगा देखकर दिनांक 21/22.12.2024 की रात्रि में घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे हुए सोने के आभूषण को चोरी कर लिया था जिसे बेचने की फिराक में घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. देवेन्द्र शर्मा उर्फ जोनी पुत्र स्व0 राजेन्द्र शर्मा निवासी ए-705, 7th फ्लोर ओक्सी रिच अपार्टमेन्ट, कोयल एनक्लेव थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम खेड़ी भनौता थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 51 वर्ष ।

बरादमगी का विवरणः-

कब्जे से हाथ के 04 कड़े, 03 अंगूठी, 04 जोड़ी कानों के कुण्ड़ल, 01 जोड़ी कान की कनौती, 02 गले की चैन (सभी आभूषण पीली धातु) बरामद (किमत लगभग 7,50,000/- रुपये) ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त देवेन्द्र शर्मा उर्फ जोनी के विरूद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम ।

नववर्ष के दृष्टिगत गाजियाबाद पुलिस द्वारा चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान

आगामी नववर्ष के दृष्टिगत गाजियाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 26.12.24 से दिनांक 02.01.25 तक 26 स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत आज दिनांक 27.12.24 को गाजियाबाद पुलिस द्वारा 1777 व्यक्तियों एवं 1215 वाहनों को चेक कर 265 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की गई एवं 02 वाहनों को सीज किया गया ।